Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू. पी. क्रं. 1612/2004

याचिकाकर्ता

कंवल सिंह ठाकुर, पुत्र श्री पुसाऊ राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, स्थायी निवासी – ग्राम लोहारहिडीह, पी. ओ. पिपरछेड़ी, गरियाबंद, निदेशक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण

1. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लभांडी, रायपुर
2. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर, द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी. ई. रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. राधेश्याम शर्मा, पुत्र श्री रमेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी समता कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. महेंद्र बहादुर सिंह, द्वारा देवेंद्र बहादुर सिंह, फिंगेश्वरबाड़ा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के निकट, रायपुर (छत्तीसगढ़)
5. भुवनेश्वर यदु, पुत्र श्री शिवलाल यादव, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी ग्राम धौरभाटा, पी.ओ. सुनारदेवरी, तहसील पलारी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
6. धर्मदास महिलांग, पुत्र रूहा राम, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट जोवा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)
7. बिसेलाल साहू, पुत्र कुंजलाल साहू, निवासी ग्राम घोर्सी, विकासखंड फिंगेश्वर, तहसील फिंगेश्वर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा और अन्य उपयुक्त रिट या निर्देश या आदेश जारी करने हेतु:

एअफआर

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

खंडपीठ **माननीय श्री ए. के. पट्नायक, मुख्य न्यायमूर्ति**
एवं माननीय श्री एस. के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

<u>रिट याचिका क्रमांक 1023/2004</u>

तथा

<u>रिट याचिका क्रमांक 1612/2004</u>

<u>विचार हेतु आदेश</u>

सही/–

मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री द्वारा पारित</u>

सहमत
सही /–
(सतीश के. अग्निहोत्री)
न्यायाधीश

<u>आदेश पारित करने का दिनांक:25 जून 2005</u>

सही/–

मुख्य न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खंडपीठ)

पीठ: माननीय श्री. ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री. एस. के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्रं. 1023 / 2004

मोहम्मद अकबर

विरुद्ध

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़,
कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लभांडी, रायपुर एवं अन्य

एवं

रिट याचिका क्रं. 1612 / 2004

कंवल सिंह ठाकुर

विरुद्ध

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़,
कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लभांडी, रायपुर एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री. मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्रीमती स्मिता घई विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता हेतु।

श्री. रविश अग्रवाल, विद्वान महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु।

श्री एस. सी. वर्मा, विद्वान अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 2 हेतु।

श्री आर. एन. सिंह एवं श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री संजय के. अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 हेतु।

श्री दिनेश तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 7 हेतु।

आदेश

(दिनांक 25 जून, 2005 को पारित)

निम्नलिखित आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया:

ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत इन दो रिट याचिकाओं में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़, द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण क्र.80-01/2004 में पारित दिनांक 02/04/2004 के आदेश को चुनौती दी गई है।

2. इन दोनों रिट याचिकाओं के निपटारे के लिए जो तथ्य प्रासंगिक हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, रायपुर/उत्तरवादी संख्या 2 (संक्षेप में "सहकारी बैंक") एक सहकारी संस्था है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत है और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद पुनर्नामकरण से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (संक्षेप में "अधिनियम") है। उत्तरवादी 2 से 6, जो अपनी-अपनी प्राथमिक समितियों के प्रतिनिधि हैं, उन्हें सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में चुना गया था। उत्तरवादी 3 और 4 सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे। उत्तरवादी 3, 4, 5 और 6 सहकारी बैंक की स्टाफ सब-कमेटी के भी सदस्य थे। सहकारी बैंक के कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियों, पदोन्नतियों और अन्य मामलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों की जांच के बाद, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर ने 03/02/1999 को एक आदेश द्वारा सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को यह निर्देश दिया कि वे स्टाफ सब-कमेटी से तथा निदेशक पद से उत्तरवादी 3 से 6 को हटाने की कार्रवाई करें।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. दिनांक 03/02/1999 के संयुक्त पंजीयक के उक्त आदेश को स्टाफ सब-कमेटी तथा उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा सहकारी बैंक की ओर से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण (संक्षेप में "अधिकरण") में पुनरीक्षण संख्या 394/1999 के तहत चुनौती दी गई थी। अधिकरण ने 03/01/2000 को पारित आदेश में कहा कि 03/02/1999 के संयुक्त पंजीयक के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं थी और पुनरीक्षण को यह निर्देश देते हुए खारिज कर दिया कि संयुक्त पंजीयक शिकायत की प्रति और जांच रिपोर्ट को सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को भेजेगा और निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 53(1)(ख) के अंतर्गत शिकायत और जांच रिपोर्ट की

प्रति प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा। लेकिन सहकारी बैंक के निदेशक मंडल ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि नियुक्तियां और पदोन्नतियाँ विधि और नियम के अनुसार की गई थीं और इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों में कोई अनियमितता नहीं थी।

4. याचिकाकर्ताओं ने, जो बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन नहीं करते थे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उत्तरवादी 3, 4, 5 और 6 के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। संयुक्त पंजीयक ने 22/03/2000 को उत्तरवादी 3, 4, 5 और 6 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिनांक 22/03/2000 को जारी कारण बताओ नोटिस को अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण वाद संख्या 93/1999 में चुनौती दी गई थी और दिनांक 04/04/2000 के आदेश द्वारा अधिकरण ने संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी उक्त कारण बताओ नोटिस को अभिखंडित कर दिया और यह निर्देश दिया कि सहकारी बैंक की समिति की एक बैठक विधि अनुसार बुलाई जाए, जिसकी अध्यक्षता उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर करेंगे तथा उत्तरवादी संख्या 3 से 6 को अधिनियम की धारा 53-बी(1) के अंतर्गत पूरा अवसर दिया जाए और उस बैठक में उनके विरुद्ध आरोपों पर विचार किये जाये। आदेश दिनांक 04/04/2000 के अनुपालन में दिनांक 08/05/2000 को उप पंजीयक की अध्यक्षता में सहकारी बैंक की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आरोपों पर विचार किया गया और उत्तरवादी संख्या 3 से 6 को दोषमुक्त पाया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. इसके पश्चात संयुक्त पंजीयक ने अधिनियम की धारा 53-बी(2) के तहत दिनांक 21/03/2001 को एक अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस कारण बताओ नोटिस को उत्तरवादी संख्या 3 से 6 द्वारा अधिकरण में चार पुनरीक्षण याचिकाओं (क्रमशः संख्या 176/2001, 177/2001, 226/2001 और 227/2001) के रूप में चुनौती दी गई। अधिकरण ने दिनांक 28/11/2001 को आदेश पारित कर पुनरीक्षण याचिकाओं को यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि उत्तरवादी 3, 4, 5 और 6 के पास जो भी बचाव उपलब्ध है, वे संयुक्त पंजीयक के समक्ष अपने जवाब में प्रस्तुत कर सकते हैं, और संयुक्त पंजीयक उन्हें अवसर

प्रदान करेंगे और आदेश पारित करेंगे। लगभग 11 महीने बाद, उत्तरवादी संख्या 3 ने दिनांक 11/10/2002 को रिट याचिका संख्या 2107/2002 में उक्त आदेश दिनांक 28/11/2001 को चुनौती दी, जिसमें अधिकरण ने पुनरीक्षण याचिकाएं संख्या क्र. 176/2001, 177/2001, 226/2001 और 227/2001 खारिज की थीं।

6. जब रिट याचिका संख्या 2107/2002 विचाराधीन थी, उस दौरान संयुक्त पंजीयक ने 22-10-2002 को अधिनियम की धारा 53-बी की उपधारा (2) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरवादी संख्या 3 को सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से हटा दिया गया और यह भी घोषित किया गया कि उत्तरवादी संख्या 3 को सहकारी बैंक में तीन वर्षों की अवधि के लिए किसी भी पद पर रहने के लिए अयोग्य माना जाएगा, क्योंकि उन्हें अवैध नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के आरोपों में दोषी पाया गया था। उसी आदेश दिनांक 22-10-2002 में, संयुक्त पंजीयक ने यह भी उल्लेख किया कि वह उत्तरवादी संख्या 4, 5 और 6 के विरुद्ध इतनी कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थे, इसके बजाय उन्हें पूर्ण सतर्कता के साथ विधि अनुसार तथा नियमों व निर्देशों के अनुरूप काम करने की चेतावनी दी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. इसके बाद, एक बिसेलाल साहू ने अधिनियम की धारा 80-ए के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के पंजीयक के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दिनांक 22/10/2002 को पारित संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के आदेश के उस भाग को चुनौती दी, जिसमें उत्तरवादी 4, 5 और 6 को कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया। दिनांक 25/11/2002 के अपने आदेश में, पंजीयक, सहकारी संस्थाओं ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि संयुक्त पंजीयक ने उत्तरवादी 3 से 6 को समान रूप से आरोपों में दोषी ठहराया था, फिर भी उसने केवल उत्तरवादी 3 को दोषी करार देते हुए सजा दी। इसलिए, दिनांक 25/11/2002 को पारित आदेश के तहत पंजीयक ने उत्तरवादी 4, 5 और 6 को भी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल से हटा दिया और उन्हें आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक सहकारी बैंक में कोई भी पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दिनांक 25/11/2002 को पारित उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, उत्तरवादी 4, 5 और 6 ने क्रमशः रिट याचिकाएं संख्या 2162/2002, 2731/2002 और 2147/2002 इस न्यायालय के समक्ष दायर कीं। इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, पंजीयक, सहकारी संस्थाओं ने पुनर्विलोकन प्रकरण संख्या 80–01/2004 दर्ज किया और दिनांक 22/10/2002 को संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित आदेश, जिसमें उत्तरवादी संख्या 3 को सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं निदेशक पद से हटाया गया था का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनर्विलोकन करने के लिए नोटिस दिनांक 1/04/2004 जारी किया गया। यह नोटिस सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा गया, लेकिन याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं भेजा गया। पुनर्विलोकन की सुनवाई के लिए दिनांक 02/04/2004 को दोपहर 2:00 बजे की तिथि तय की गई, और उसी दिन पंजीयक द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें 22/10/2002 के संयुक्त पंजीयक के आदेश को अपास्त कर दिया गया और उत्तरवादी संख्या 3 को सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं निदेशक पद पर पुनः बहाल कर दिया गया, जैसा कि 22/10/2002 से पहले की स्थिति थी।

9. पंजीयक, सहकारी संस्थाओं द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 02/04/2004 से याचिकाकर्ताओं को प्रभावित किया गया क्योंकि उत्तरवादी संख्या 3 को सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं निदेशक पद से हटाने के बाद, रिट याचिका संख्या 1023/2004 में याचिकाकर्ता को 07/04/2004 को सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसी प्रकार, उत्तरवादी संख्या 4 को उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद, जो रिट याचिका संख्या 1612/2004 में याचिकाकर्ता है उन्हें 07/04/2004 को सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। उपर्युक्त घटनाक्रम से व्यथित होकर दो याचिकाकर्ताओं ने यह प्रार्थना के साथ रिट याचिकाएं दायर कीं, की उक्त आदेश दिनांक 02/04/2004 तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ के समक्ष पुनर्विलोकन प्रकरण संख्या 80–01/2004 की समस्त कार्यवाही, (जिसे आगे आक्षेपित आदेश' कहा गया है) को अपास्त किया जावे।

10. सुनवाई के दौरान श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि जब 22/10/2002 और 25/11/2002 के आदेश पारित किए गए, उस समय पुनर्विलोकन की शक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पास नहीं थी और पुनर्विलोकन की शक्ति केवल वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 80 के तहत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को दी गई थी। परंतु 2003 में जब संशोधन अधिनियम लागू हुआ, तब तक 22-10-2002 और 25-11-2002 के आदेश अंतिम हो चुके थे। उन्होंने निवेदन किया कि जिस धारा 80 के तहत रजिस्ट्रार को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई, वह पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकती और केवल उन्हीं आदेशों पर लागू हो सकती है, जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा उक्त धारा 80 के लागू होने के बाद पारित किए गए हों। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के वाद "केशवलाल जेठालाल शाह बनाम मोहनलाल भगवंदास एवं अन्य" (AIR 1968 SC 1336) तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय "गोविंद प्रसाद रमेश्वरनाथ अग्रवाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य" (1968 MPLJ 704) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि जिन आदेशों को अंतिम माना जा चुका है, वे कानून में बाद में हुए संशोधन से प्रभावित नहीं हो सकते, जब तक कि संशोधन अधिनियम में उसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए स्पष्ट प्रावधान न हो। इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 80 का दूसरा उपबंध केवल रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को पुनर्विचार की शक्ति देता है, बशर्ते कि कोई आदेश तब तक परिवर्तित, संशोधित या पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्व सूचना देकर संबंधित पक्षों को उपस्थित होने और सुने जाने का अवसर न दिया गया हो। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता, जिन्हें सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था और अन्य संबंधित पक्षों को 02/04/2004 के कथित आदेश के पारित होने से पहले उपस्थित होने या सुने जाने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 80 का पहला उपबंध यह दिखाता है कि रजिस्ट्रार की शक्ति केवल उन्हीं मामलों में है, जिनमें स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में त्रुटि हो और यह उन मामलों पर लागू नहीं होती, जिनका निर्णय पहले ही अधिकरण द्वारा हो चुका हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 02/04/2004 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा पारित आदेश को पढ़ने से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह स्पष्ट हो जाएगा कि 25/11/2002 के पूर्व आदेश में उत्तरदाता क्र.3 को हटाने का कोई आधार नहीं था चूंकि सहकारी बैंक के निदेशक मंडल ने 08/05/2000 को उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तरदाताओं 3 से 6 के खिलाफ आरोपों पर पहले ही विचार कर लिया था, उन्हें बरी कर दिया था और उनके खिलाफ मामला बंद कर दिया था, इसलिए संयुक्त पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 53–बी (2) के तहत एक और कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसके आधार पर अंतिम आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इस विषय पर पहले ही अधिकरण द्वारा 28/11/2001 के आदेश में निर्णय हो चुका था, जिसमें पुनरीक्षण क्रमांक 176/2001, 177/2001, 226/2001 और 227/2001, जो उत्तरदाताओं 3 से 6 द्वारा 21/03/2001 के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दायर किए गए थे, को खारिज कर दिया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. श्री रविश अग्रवाल, राज्य के विद्वान महाधिवक्ता/उत्तरवादी क्र.1 की ओर से पेश हुए और उन्होंने व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा 77 (16) के अनुसार, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विचार में पारित आदेश अधिकरण द्वारा अंतिम और निर्णायक होगा, और इस प्रकार 22/10/2002 को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ द्वारा पारित आदेश, जिसमें उत्तरवादी क्र.3 को अध्यक्ष पद से हटाया गया और सहकारी बैंक में किसी भी पद पर तीन वर्षों के लिए पद धारण करने से अयोग्य ठहराया गया, अंतिम नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 22/10/2002 का आदेश अधिकरण के समक्ष धारा 77 के तहत चुनौती के लिए विषय था, लेकिन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 74 के तहत अधिकरण के क्षेत्राधिकार की अवधि 2 वर्षों के लिए 01/11/2000 से 01/11/2002 तक बढ़ा दी गई थी, और इसी कारण 22/10/2002 को संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित आदेश को 22/11/2002 को समाप्त होने वाली तीस दिनों की अवधि के भीतर भी अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्री श्रीवास्तव का यह तर्क कि संयुक्त पंजीयक या पंजीयक द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/04/2004 अंतिम हो गया है और आक्षेपित आदेश द्वारा

पंजीयक द्वारा पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता था, निराधार है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम में धारा 80 के तहत पंजीयक को पुनर्विचार की शक्ति दी गई है और 02/04/2004 के आक्षेपित आदेश को पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ द्वारा धारा 80 के तहत पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सहकारी संस्थाएँ अधिनियम की धारा 80 के तहत पारित आदेश को हटाने के लिए पंजीयक के पास शक्ति है और अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जो स्पष्ट या परोक्ष रूप से पंजीयक, सहकारी संस्थाएं की पुनर्विलोकन शक्ति को प्रयोग करने से रोकता हो जो संशोधन अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले पारित किया गया था। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय **बी.पी. आन्ध्र बनाम सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल, तिहाड़**, **AIR 1975 SC 164** का हवाला दिया।

12. श्री एस.सी. वर्मा, उत्तरवादी संख्या 2/सहकारी बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि सहकारी बैंक ने सहकारी संस्थाओं के पंजीयक द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद ही अपना जवाब दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. श्री आर.एन. सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरवादी क्र. 3, 4, 5 और 6 की ओर से पेश हुए है, ने श्री रविश अग्रवाल, विद्वान महाधिवक्ता का तर्क दोहराया है की दिनांक 22/10/2002 और 25/11/2002 के आदेशों को अधिनियम की धारा 77 के तहत अधिकरण में चुनौती दी जा सकती थी इसलिए वे अंतिम आदेश नहीं थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त आदेशों को अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी क्योंकि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 74 के तहत अधिकरण उपलब्ध नहीं था। उन्होंने यह तर्क दिया कि सहकारी संस्थाओं के पंजीयक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अधिनियम में जोड़ी गई धारा 80 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन आदेशों की पुनर्विलोकन कर सकते थे। श्री श्रीवास्तव के इस तर्क के जवाब में कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 02/04/2004 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश से पहले अधिनियम की धारा 80 के द्वितीय परंतुक के अनुसार याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई थी, श्री सिंह ने निवेदन किया कि नियमों के अंतर्गत केवल उस मामले में पक्षकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो उस

आदेश में प्रत्यक्ष पक्षकार थे, जिसकी पुनर्विलोकन का आग्रह किया गया और इस तरह का नोटिस मामले के पक्षकारों को दिया गया था जिसमें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 25/11/2002 को आदेश पारित किया गया था, जैसा कि रिट याचिका के साथ संलग्न नोटिस की प्रति अनुलग्नक–पी/19 से स्पष्ट है। उन्होंने तर्क दिया कि, वास्तव में, उक्त नोटिस के जवाब में, सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आपत्तियाँ/ प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया था और श्री श्रीवास्तव का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 80 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, सही नहीं है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि जिन आधारों पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 02/04/2004 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह अधिनियम की धारा 80 में निहित पुनर्विलोकन की शक्ति के क्षेत्राधिकार में आता है और श्री श्रीवास्तव का यह तर्क कि रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 80 में प्रदत्त पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया है, गलत समझा गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. इन रिट याचिकाओं में सबसे पहले निर्णय करने का प्रश्न यह है कि क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम में लाई गई धारा 80 के प्रावधानों का उपयोग उन आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए कर सकते थे, जो संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 80 के प्रवर्तन से पूर्व पारित किए गए थे। छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 की उप–धारा (2) द्वारा, जिसके द्वारा उक्त धारा 80 अधिनियम में जोड़ी गई थी, स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उक्त संशोधन अधिनियम 2003 की प्रवर्तन तिथि, उसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होना था। उक्त संशोधन अधिनियम 2003 का राजपत्र में प्रकाशन 9 सितंबर 2003 को किया गया था। अतः धारा 80, जिसने रजिस्ट्रार को पुनर्विलोकन (review) की शक्ति प्रदान की, 9 सितंबर 2003 से प्रभावी हुई। उक्त धारा 80 इस प्रकार है:

> "80. **पुनर्विलोकन (Review).–** राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का

पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्यायसंगत समझे;

परन्तु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा और न ही किसी मामले को स्वप्रेरणा से लिया जाएगा, जब तक यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी, वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है, जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परन्तु यह कि, किसी ऐसे आदेश में जब तक कोई परिवर्तन, संशोधन या उपान्तरण नहीं किया जाएगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए तथा सुने जाने के लिए सूचना न दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पत्र पर किसी आदेश का पुनर्विलोकन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आवेदन उस आदेश के पारित किए जाने के नब्बे दिवस के भीतर न किया गया हो।

इस प्रकार, उपर्युक्त धारा 80 द्वारा, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को किसी भी मामले में, जैसा वह उचित समझे, अपने आदेश की पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है, चाहे वह स्वप्रेरणा से हो या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर। धारा 80 की तीसरी शर्त यह कहती है कि इच्छुक पक्ष द्वारा किसी भी आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन, आदेश पारित होने के 90 दिनों के भीतर ही स्वीकार किया जाएगा,

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जब तक कि आवेदन समय पर प्रस्तुत न किया गया हो; लेकिन धारा 80 में यह सीमित नहीं किया गया है कि किस समयावधि के भीतर रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से आदेश की समीक्षा कर सकता है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अपनी स्वप्रेरणा से, अपने द्वारा पारित किसी भी अन्य आदेश की पुनर्विलोकन कर सकते हैं। अतः, 9 सितंबर 2003 के बाद, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा लाई गई धारा 80 के तहत अपनी उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश की पुनर्विलोकन कर सकते थे, सिवाय उस आदेश के, जो अंतिम हो चुका हो। इस मामले में, 22/10/2002 को संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित आदेश और 25/11/2002 को पंजीयक द्वारा पारित आदेश को अंतिम नहीं माना जा सकता, दो कारणों से; पहला, क्योंकि उक्त आदेशों को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती थी और धारा 77(16) स्पष्ट रूप से यह कहती है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश ही अंतिम होगा; दूसरा, वास्तव में 22/10/2002 और 25/11/2002 के आदेश उच्च न्यायालय में डब्लू.पी.न. 2107/2002, 2162/2003, 2731/2002 और 2147/2002, जो कि उत्तरवादी संख्या 3 से 6 द्वारा दायर की गई थीं, के तहत चुनौती के अधीन थे। उच्चतम न्यायालय के वाद केशवलाल जेठलाल शाह (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय और रामेश्वर नाथ अग्रवाल (पूर्वोक्त) में जिन मामलों में आदेश अंतिम हो चुके थे, वे इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते। श्री श्रीवास्तव का यह तर्क कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लाई गई धारा 80 के तहत 25.11.2002 के आदेश की पुनर्विलोकन नहीं कर सकते थे, निराधार है।

15. अगला प्रश्न, जो इन रिट याचिकाओं में निर्णय हेतु उत्पन्न होता है, यह है कि क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, ने धारा 80 के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया, जब उन्होंने उस मुद्दे पर निर्णय दिया, जो अधिकरण द्वारा पहले ही तय किया जा चुका था। वर्तमान मामले में, 02/04/2004 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ द्वारा 22/10/2002 के आदेश की पुनर्विलोकन इस आधार पर की गई कि 08/05/2000 को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायपुर की अध्यक्षता में सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में आरोपों पर विचार किया गया था और

उत्तरवादी संख्या 3, 4, 5 और 6 को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, और इसलिए संयुक्त रजिस्ट्रार को धारा 53 (बी) (2) के तहत एक और कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था। उक्त विवादास्पद आदेश रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ द्वारा दिनांक 02/04/2004 के हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं:–

> "इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के निदेशक मंडल की बैठक, जो 08.05.2000 को उप–पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी आदेश दिनांक 04.04.2000 के माननीय सहकारी अधिकरण के आदेश (पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 93/99) में सभी आरोपों पर विचार करते हुए, बैंक के निदेशक मंडल ने श्री राधेश्याम शर्मा (उपाध्यक्ष), श्री महेंद्र बहादुर सिंह (सदस्य), श्री धर्मदास महिलांग (सदस्य) और श्री भुनेश्वर यदु (सदस्य) को संयुक्त पंजीयक, रायपुर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों से बहुमत से दोषमुक्त कर दिया तथा प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया गया। जब निदेशक मंडल ने कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों पर विचार कर केवल उन्हीं आरोपों के आधार पर अंतिम रूप से आरोपों से दोषमुक्त करने का निर्णय लिया, तो मामला बंद हो जाना चाहिए था। चूंकि निदेशक मंडल ने माननीय सहकारी अधिकरण के आदेश और संयुक्त पंजीयक द्वारा धारा 53 बी/ख(1) के तहत जारी नोटिस के अनुसार पूरी प्रक्रिया का पालन किया, अतः धारा 53 बी/ख(2) के तहत संयुक्त पंजीयक द्वारा अगला नोटिस और धारा 53 बी/ख(4) के तहत अंतिम आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं था।
>
> श्री महेंद्र बहादुर सिंह, श्री धर्मदास महिलांग, श्री भुनेश्वर यदु, अनावेद्को के संबंध में, संयुक्त पंजीयक ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 22–10–2002 में उन्हें दंडित नहीं किया, लेकिन पुनरीक्षण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रकरण क्रमांक 80–A/2002 में दिनांक 25–11–2002 के आदेश द्वारा तत्कालीन पंजीयक ने दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों को दंडित करने का आदेश दिया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, जो व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा एक बार दोषमुक्त कर दिए गए हैं, उन्हें बाद में उसी मामले में दोषी ठहराकर दंडित नहीं किया जा सकता या दोषी व्यक्ति को दी गई सजा को घटाया जा सकता है, लेकिन दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को दंडित करने या सजा बढ़ाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर, सबसे पहले 22–10–2002 को संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित आदेश में उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया और उसके बाद पंजीयक द्वारा 25–11–2002 के आदेश में उन्हें दंडित किया गया, जो विधि के अनुसार नहीं है और खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः, उपरोक्त विवेचनों के आधार पर, पंजीयक, छत्तीसगढ़, सहकारी समितियों द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 80–A/K 2002 में दिनांक 25–11–2002 को पारित आदेश अवैध और क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण, अतः इसे खारिज किया जाता है।

पुनरीक्षण प्रकरण में, 22–10–2002 को संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित आदेश का उचित विवेचन नहीं किया गया था। माननीय सहकारी अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में धारा 53 बी/ख(1) के तहत नोटिस देने के बाद जब समिति द्वारा आरोपों की जांच की गई, तो धारा 53 बी/ख(2) के तहत आगे की कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार, संयुक्त पंजीयक ने अधिनियम की व्याख्या में गंभीर त्रुटि की है। इन कारणों से, संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 53 बी/(ख)(2) के तहत 22–10–2002 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है। 22–10–2002 के आक्षेपित आदेश के पारित होने से पूर्व जो स्थिति थी, वही लागू होगी।

रजिस्ट्रार ने उपर्युक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 02/04/2002 पारित करते समय यह विवेचन नहीं की कि इसी आधार पर 08/05/2000 को सहकारी बैंक के निदेशक मंडल ने कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों पर विचार किया था और अंततः उत्तरदाता 3, 4, 5 और 6 को आरोपों से अंतिम रूप से दोषमुक्त कर दिया था, और संयुक्त पंजीयक अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व धारा 53-B(2) के तहत एक और कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस मुद्दे पर अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 28/11/2001 (पुनरीक्षण क्रमांक 176/2001, 177/2001, 226/2001 और 227/2001) में पहले ही विचार किया जा चुका था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था। अधिकरण के आदेश दिनांक 28/11/2001 के अंग्रेजी अनुवाद के अनुच्छेद 11, 12, 13, 14, 15 और 16 (पुनरीक्षण क्रमांक 176/2001, 177/2001, 226/2001 और 227/2001) यहाँ नीचे उद्धत किए जा रहे हैं:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "(11) अतः, याचिकाकर्ता की यह तर्क स्वीकार नहीं की जा सकती कि समिति की प्रबंध समिति ने 8-5-2000 की बैठक में स्टाफ उपसमिति के खिलाफ आरोपों पर पहले ही विचार कर लिया था और विस्तार से विचार-विमर्श के बाद मामला समाप्त कर दिया गया था तथा समिति के सदस्य आरोपों के दोषी नहीं पाए गए थे। इस निर्णय के आलोक में, संयुक्त पंजीयक धारा 53 की उपधारा (2) के तहत नया कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सक्षम नहीं हैं। उनका अधिकार क्षेत्र केवल तभी है जब समिति कार्रवाई करने में विफल रही हो, परंतु वर्तमान मामला ऐसा नहीं है। समिति पहले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है।
>
> (12) अब जो प्रश्न उठता है वह यह है कि अधिनियम की धारा 53 बी (1) के तहत "समिति द्वारा कार्यवाही करने में विफलता पर" शब्दों का सही अर्थ क्या है। अधिनियम की योजना और अंतर्निहित सिद्धांत के अनुसार "समिति द्वारा कार्यवाही करने में विफलता पर" वाक्यांश का सही अर्थ सम्बंधित अधिकारी को हटाने में समिति की विफलता

पर नहीं है। कार्यवाही करने का परिणाम अधिकारी को हटाना हो भी सकता है और नहीं भी। अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) की एकमात्र आवश्यकता यह है कि रजिस्ट्रार मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देना होगा। इसके बाद वह हटाने का आदेश पारित कर सकता है और संबंधित अधिकारी को अयोग्य भी ठहरा सकता है।

(13) इस प्रश्न पर इस अधिकरण ने पुनरीक्षण क्रमांक 68/2000 (श्री रमेश सक्सेना एवं अन्य बनाम संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, भोपाल एवं अन्य, दिनांक 23–02–2004) में विचार किया है। इस पुनरीक्षण में भी उपरोक्त समान प्रश्न इस अधिकरण के समक्ष उठाया गया था। इस आदेश में, कंडिका 8 में, यह कहा गया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) तदनुसार, इस धारा की उप–धारा (2) के तहत पंजीयक को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि समिति किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो पंजीयक के निर्देश पर समिति के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पंजीयक को अधिकार प्राप्त होता है। समिति, जिसे पंजीयक द्वारा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है (उप–धारा (1) के तहत), उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद अपने विवेक से निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। जहाँ समिति विफल होती है, वहाँ उप–धारा (2) पंजीयक को अधिकार देती है कि वह संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उस प्रकार से कार्रवाई करे, जैसा उसमें निर्दिष्ट है। उप–धारा (2) में प्रयुक्त शब्द "समिति द्वारा अधिकारी को हटाने में विफलता" का अर्थ है "समिति द्वारा संबंधित अधिकारी को हटाने में विफलता"। कार्रवाई करने का परिणाम हटाना भी हो सकता है या नहीं भी। धारा 53–बी की उप–धारा (2) की केवल यही आवश्यकता है कि पंजीयक, किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व, संबंधित अधिकारी को

सुनवाई का अवसर दे। इसके बाद, वह हटाने का आदेश पारित कर सकता है और संबंधित अधिकारी को अयोग्य भी घोषित कर सकता है।

(15) उक्त आदेश के पैरा 14 में आगे यह भी कहा गया है: "लेकिन समिति के निर्णय से असहमत होते हुए भी पंजीयक को अपने आदेश में कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल उसकी मुख्य संतुष्टि है कि समिति का कोई भी अधिकारी हटाने योग्य है, यदि उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर और यदि धारा 53 बी(1) के अंतर्गत आरोप सिद्ध होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कपटी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समिति को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है और इसी कारण पंजीयक को ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने **बृज गोपाल डांगा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 1979 एमपीएलजे 965** में प्रतिवेदित किया है कि सहकारिता एक महान नैतिक आंदोलन है और यह भौतिक संपत्ति, ईमानदारी और नैतिक दायित्व की भावना से ऊपर है और यह नैतिकता को भौतिक लाभ से ऊपर रखता है। सदस्य के निष्कासन की शक्ति, चाहे समिति के सदस्यों द्वारा प्रयोग की गई हो, एक सहकारी समिति के नैतिक आधार को बनाए रखने की शक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल ने सोचा कि समिति द्वारा किसी सदस्य के निष्कासन को अधिकृत करने के लिए अकेला पर्याप्त नहीं होगा और रजिस्ट्रार को भी किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति होनी चाहिए, ताकि समिति में बहुमत को किसी बेईमान सदस्य द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करके अपने पक्ष में न किया जा सके। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं सकते कि हमारे कानून लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और एक मजबूत धारणा है कि वे समाज के नैतिक मानदंडों के अनुरूप हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> (16) उपर्युक्त उल्लिखित उच्च न्यायालय का मामला निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत है, लेकिन इस मामले में रजिस्ट्रार को सदस्य को हटाने की शक्ति से संबंधित जो विधि का सिद्धांत स्थापित किया गया है, वह सार्वभौमिक रूप से लागू होता है और उसका औचित्य अधिनियम की धारा 53-बी (1) और (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों पर भी लागू होगा।

एक बार जब अधिकरण ने उपर्युक्त आधार पर विचार कर उसे अस्वीकार कर दिया, तो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अधिकरण के निर्णय के विपरीत 22/10/2002 के आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कर सकते थे, क्योंकि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अपनी धारा 80 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए केवल अपने ही आदेश की पुनर्विलोकन कर सकते हैं और रिकॉर्ड में स्पष्ट कोई गलती या त्रुटि हो तो उसे सुधार सकते हैं, लेकिन अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। अतः रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 02/04/2004 का इसी आधार पर अभिखंडित किया जाना उचित था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम याचिकाकर्ताओं की इस आपत्ति पर विचार करें कि अधिनियम की धारा 80 के द्वितीय परंतुक के अनुसार कोई नोटिस याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया था और पंजीयक सहकारी समितियाँ द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 02/04/2004 को पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

17. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 80-01/04 में दिनांक 02/04/2004 को पारित आक्षेपित आदेश तदनुसार अभिखंडित किया जाता है और ये रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं, लेकिन मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकार अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/–
मुख्य न्यायाधीश

सही /–
(सतीश के. अग्निहोत्री)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है कि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Rituraj Burman

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur